

आदेश

तिथि
Oct 4 2019

आदेश पर की
गई कारवाई

अभिलेख आज प्रस्तुत किया गया। क्षेत्रिय कर्मचारी ने अंचल निरीक्षक के माध्यम से प्रतिवेदन समर्पित किया। प्राप्त प्रतिवेदनानुसार आवेदित जमीन मौजा रांगमटीया थाना झरिया

खाता	प्लॉट	रकबा
39	1397	0 एकड़, 4 डिसमील, 0 हेक्टर
39	2808	0 एकड़, 1.14 डिसमील, 0 हेक्टर

का बिक्रेता

बिक्रेता का नाम	रिश्ता	अभिभावक का नाम
श्री गोपाल राय	पिता	श्री पंचू राय
श्री नकुल राय	पिता	श्री पंचू राय
श्रीमती चन्दू वाला देवी	पति	श्री शंकर राय
श्रीमती अलका सिंह	पति	श्री पालन सिंह
श्री घल्टू सिंह	पिता	छोटू सिंह
आम मोख्तार श्री राजीव कुमार देव	पिता	श्री जगत बल्लभ देव

है जिन्होने निवंधित बिक्री, बिक्री-के वाला संख्या 8208 दिनांक MMM d yyyy के द्वारा आवेदक को बिक्री किए हैं। उक्त जमीन का खतियानी / जमाबंदीरैयत

रैयत का नाम	रिश्ता	अभिभावक का नाम
साढू घटवालिन	पिता	स्व० गोवर्धन सिंह
जयमंगल सिंह वो जती सिंह	पिता	स्व० शम्भू सिंह
घन्टू सिंह	पिता	स्व० छुटू सिंह
मांदो सिंह	पिता	स्व० चुडू सिंह

वर्तमान जमीन पर आवेदक का दखल है। सर्वसाधारण सूचना का तामिला प्रतिवेदन प्राप्त हुआ। किसी ने कोई आपत्ति नहीं की है। क्षेत्रिय कर्मचारी / अं.नि. ने आवेदित भूमि का नामान्तरण आवेदक के नाम से करने हेतु अनुशंसा किया है। आवेदित भूमि रैयती खाते की है, बिक्रेता के पिता के नाम से जमाबंदी कायम है प्रश्नगत भूमि वन सीमा गैर आबाद आम खास सी०एन०टी० आदिवासी बी०सी०सी० एल० रेलवे से बाहर है क्रेता का भूमि पर दखल कब्जा है अतः क्रेता के नाम से दाखिल खारिज की जा सकती है। -

अतः वार्षिक लगान 10रुपये

स्वीकृत

अलावे सेस के साथ नामान्तरण

किया जाता है।

शुद्धि पत्र हस्ताक्षरित कर निर्गत किया जाता है।

Digitally Signed by :

MOHAMMAD ASLAM

अंचलाधिकारी बलियापुर

